माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

(केम्प उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत)

प्रकरण क्र. /2019 निगरानी निगरानी-0431/2019/देवास/भू.रा.सं.

हुकुमचन्द पिता भेरूलाल दतोदिया जाति बलाई, आयु करीब 64 वर्ष, निवासी–ग्राम पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. ....निगरानीकर्ता

पार्टी स्वयं/अभिभाषक प्रेम जोशी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 7/3/19

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

675 7/3/19

विरूद्ध

1. मोजा पटवारी ग्राम पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्र. 296/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2019 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह प्रथम निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी स्मरण लेख निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि :–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, नगर पिपलरांवा तहसील सोनकच्छ जिला देवास में निगरानीकर्ता हुकमचन्द के स्वामित्व एवं आधिपत्य का वर्षो पुराना मकान व कुआ स्थित है जो अपने स्वयं व अपने पिता के सहखातेदार के रूप में सर्वे क्रमांक 1390 रकबा 0.324 और 0.627 कुल 0.951 पर स्थित व निर्मित है। निगरानीकर्ता द्वारा

निरन्तर 2

Hdatodiya

(171)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

(207)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/431/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/02/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	